राजस्थान विधान सभा सचिवालय

जयपुर

E-mail : rajassembly@nic.in
website: www.rajassembly.nic.in

फैक्सः 0141–2744333–2744334
दूरभाष नं. 0141–2744301–320

राजस्थान विधान सभा सचिवालय में किराये की डिजिटल फोटो स्टेट मशीनें लगाये जाने का कार्य

बिड प्रपत्र

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू.)	बिड प्रतिभूति राशि (रू.)	बिड प्रपत्र शुल्क (रू.)
राजस्थान विधान सभा सचिवालय में किराये की डिजिटल फोटो स्टेट मशीनें लगाये जाने का कार्य	3.75 लाख	7,500/-	500/-
बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	19/09/2017 अपराह्न 4.00 बजे		
बिड खोलने की तिथि एवं समय	20/09/2017 अपराह्न 3.00 बजे		

E-mail : rajassembly@nic.in
website: www.rajassembly.nic.in

फैक्सः 0141-2744333-2744334
दूरभाष नं. 0141-2744301-320

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

क्रमांकः एफ (25)/वि.स्टोर/विस/2017/ 33815 जयपुर दिनांकः 12 सितम्बर 2017

अल्पकालीन बिड सूचना

राजस्थान विधान सभा सचिवालय के उपयोग हेतु कम्प्यूटर से जुड़ने वाली डिजिटल फोटो स्टेट मशीनें किराये पर लेने के लिये रजिस्टर्ड फर्मों से अल्पकालीन बोलियां आमन्त्रित की जाती हैं:-

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू)	बिड प्रतिभूति (रू)	बिड प्रपत्र शुल्क (रू)	बिड प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम दिनांक	बिड जमा कराने की अंतिम दिनांक	बिड खोलने की दिनांक
कम्प्यूटर से जुड़ने वाली डिजिटल फोटो स्टेट मशीनें किराये पर लेने का कार्य	3.75 लाख	7500/-	500/-	19.09.2017 सायं 3.00 बजे तक	19.09.2017 सायं 4.00 बजे तक	20.09.2017 सायं 3.00 बजे

1. बिड प्रपत्र राजस्थान विधान सभा सचिवालय के कक्ष संख्या 739 से दिनांक 19.09.2017 सायं 3.00 बजे तक कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क रूपये 500/- जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है अथवा इस सचिवालय की वेबसाइट www.rajassembly.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट से डाउनलोड किये गए बिड प्रपत्र का शुल्क बिड के साथ सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर के नाम देय डी.डी./ बैंकर्स चैक द्वारा जमा कराना आवश्यक है।
2. बिड के साथ बोली प्रतिभूति के डी.डी./बैंकर्स चैक, जो सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर के नाम देय हो, जमा कराना आवश्यक है। बोली प्रतिभूति के बिना जमा कराई गई बिड्स पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. प्रदत्त दरें बिड खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक स्वीकृति हेतु मान्य (valid) रहेंगी। यदि बोलीदाता उस अवधि में अपनी बिड अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बिड वापस ले लेता है तो उसकी बिड प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी।
4. बिड प्रपत्र के साथ निम्न प्रपत्र, दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:-
    1. बिड प्रपत्र शुल्क एवं बिड प्रतिभूति के बैंकर्स चैक/ डी.डी.
    2. बिड फार्म एवं बिड प्रपत्र
    3. हस्ताक्षरयुक्त बिड की शर्तें
    4. फर्म के पंजीयन एवं जीएसटी पंजीयन (GSTIN) के प्रमाण-पत्रों की प्रतियां
    5. आयकर स्थायी खाता संख्या (PAN Card) की प्रति

6. फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डीड या पावर ऑफ एटोर्नी की प्रति।
7. अनुभव के समर्थन में प्रमाण-पत्र/कार्यादेश की प्रतियां ।

5. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेजों में या अन्य कोई त्रुटि पाये जाने पर बिड को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
6. भरी हुई बिड्स दिनांक 19.09.2017 सायं 4.00 बजे तक राजस्थान विधान सभा सचिवालय के कक्ष संख्या 739 में जमा कराई जा सकती हैं। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त बिड्स पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. निर्धारित समय तक प्राप्त बिड्स को दिनांक 20.09.2017 सायं 3.00 बजे उपापन/ क्रय समिति के द्वारा राजस्थान विधान सभा सचिवालय के कक्ष संख्या 110 में उपस्थित बोलीताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों जो बिड खोलते समय उपस्थित रहना चाहें के समक्ष खोला जाएगा।
8. कार्य का पूर्ण विवरण बिड दस्तावेजों में अंकित है, जिसकी जानकारी इस कार्यालय में भी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
9. किसी भी बोली को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

(गिरिराज बांगड)
उप सचिव (प्रशासन)

E-mail : rajassembly@nic.in फैक्सः 0141-2744333-2744334
website: www.rajassembly.nic.in दूरभाष नं. 0141-2744301-320

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

बिड प्रपत्र

राजस्थान विधान सभा सचिवालय में किराये की डिजिटल फोटो स्टेट मशीन लगाये जाने का कार्य

1 बोली प्रस्तुत करने वाली संस्था/फर्म/कम्पनी/कॉन्ट्रेक्टर का नाम ....
....
....

2 स्थाई पता : ....
....
....

3 पत्र व्यवहार का पता : ....
....

4 टेलीफोन नं. ....

5 मोबाइल एवं फैक्स नं. ....

6 ई-मेल पता : ....

7 बिड जिसको प्रस्तुत करनी है:- उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

8 संदर्भ बिड सूचना एफ18(1)फर्नी/विस/पार्ट-II/2017/ दिनांकः सितम्बर, 2017

9 इस बिड के संबंध में बिड प्रपत्र एवं समस्त शर्तें मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ एवं समझ ली गई हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप शर्त प्रपत्र एवं बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। मैं/हम उन समस्त शर्तों की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं।

10 मैं/हम ऐसे करों को संदत्त करने की, जो बोली दस्तावेजों, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, अपनी बाध्यता की पूर्ति करुँगा/करेंगे।

11 मैं/हम दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हुआ हूँ/हुए हैं या परिसमापन नहीं कर रहा हूँ/रहे हैं, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखूँगा/रखेंगे, न अपने कारबार के क्रियाकलाप निलंबित रखूँगा/रखेंगे और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होंगे।

12 मैं/हम अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किए जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन सम्बन्धी किसी दांडिक अपराध के सम्बन्ध में न तो स्वयं, और न हमारे निदेशक और अधिकारी दोषसिद्ध हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए हैं।

13 मैं/हम ऐसे हित, जो पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किए गया है, के प्रति कोई विरोध नहीं रखूंगा/रखेंगे, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रुप से प्रभावित करे।

14 हम बिड सूचना तथा संलग्न बिड की शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं एवं इनके सभी पृष्ठों पर प्रमाणस्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

15 राजस्थान विधान सभा सचिवालय में किराये की डिजिटल फोटो स्टेट मशीन लगाये जाने के कार्य हेतु प्रस्तावित दर (सभी करों सहित) परिशिष्ट "क" में वर्णित कर दी है।

16 उद्घृत की गई दरें 90 दिवस के लिये विधिमान्य हैं। इस अवधि एवं मात्रा को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।

17 पंजीयन संख्या ....(पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है)

18 GST पंजीयन संख्या .... (पंजीयन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न हैं)।

19 आयकर स्थायी खाता संख्या .... (पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न है)।

20 गत दो वर्षों (वर्ष 2015-16 एवं 2016-17) में प्रतिवर्ष तीन लाख रूपये का कार्यानुभव या कार्यादेशों की प्रतियां संलग्न हैं।

21 मैं/हम बोली में दिये गए आपूर्ति/कार्य की संलग्न शर्तें पढ़ने के उपरान्त आदेश प्राप्ति के अनुसार आपूर्ति/कार्य करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

E-mail : rajassembly@nic.in
website: www.rajassembly.nic.in
फैक्सः 0141-2744333-2744334
दूरभाष नं. 0141-2744301-320

<u>राजस्थान विधान सभा सचिवालय</u>

<u>राजस्थान विधान सभा सचिवालय में किराये की डिजिटल फोटो स्टेट मशीन लगाये जाने के लिए खुली बोली एवं संविदा की शर्तें</u>

<u>नोट :-</u>

1. **बोलीदाताओ को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोलियां प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।**
2. **बिड प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व बोलीदाताओं को राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का आवश्यक रूप से सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए।**
3. **बिड की शर्तों एवं राज लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में विरोधाभास पाये जाने पर अधिनियम व नियमों में दिये गए प्रावधान ही प्रभावी माने जायेंगे।**
4. **राजस्थान सरकार के सा.वि. एवं लेखा नियम एवं बिड के विषय से सम्बन्धित अन्य समस्त नियम एवं एक्ट भी लागू माने जायेंगे।**

1. फोटो स्टेट मशीनें कार्यादेश जारी होने की तिथि से 10 दिवस में स्थापित करनी होंगी। फोटो स्टेट मशीनों की अनुमानित मात्रा एवं स्पेसिफिकेशन संलग्न अनुसूची में अंकित की गई है। अनुसूची में अंकित मशीनों के अतिरिक्त सत्रकाल एवं अन्तःसत्रकाल में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मशीनें भी लगवाई जा सकती हैं। अनुबंध अवधि में फोटो स्टेट मशीनों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
2. बोलियां द्वि-भाग पद्धति-तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के आधार पर आंमत्रित हैं।
3. बोलियां निर्धारित बिड फार्म में ही स्वीकार की जायेंगी। निर्धारित बिड फार्म से भिन्न बिड फार्म में प्रस्तुत बोलियों को निरस्त कर दिया जाएगा।
4. बोलियों को बोली सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करें।
5. एक बोलीदाता एक से अधिक बोलियां/आवेदन देता है तो उसकी बोली को निरस्त कर दिया जायेगा।
6. **बोलीदाता को <u>एक लिफाफे</u> में तकनीकी बिड जिसमें बोली के तहत् मांगे गए डी.डी./बैंकर्स चैक, बोली फार्म व हस्ताक्षर युक्त बिड प्रपत्र/शर्तें तथा तकनीकी बिड में मांगे गए समस्त दस्तावेज रखकर इसे सीलबन्द करना एवं उस पर ''राजस्थान विधान सभा सचिवालय में किराये पर डिजिटल फोटो स्टेट मशीनें स्थापित करने हेतु तकनीकी बिड और ''बोलीदाता का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर'' लिखना होगा तथा <u>दूसरे लिफाफे</u> में अपनी प्रस्तावित दरें परिशिष्ठ 'क' में भरकर इस लिफाफे को सीलबन्द कर उस पर ''राजस्थान विधान सभा सचिवालय में किराये पर डिजिटल फोटो स्टेट मशीनें स्थापित करने हेतु वित्तीय बिड'' और बोलीदाता का नाम, पता**

एवं दूरभाष नम्बर" लिखना होगा। इन दोनों बन्द लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में रखकर इसे सीलबन्द कर उस पर "राजस्थान विधान सभा सचिवालय में किराये की डिजीटल फोटो स्टेट मशीनें लगाये जाने हेतु बोली" तथा "बोलीदाता फर्म का नाम, पता व दूरभाष/मोबाइल नम्बर" लिखकर प्रस्तुत करना होगा।

7. **यदि कोई बोलीदाता तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड प्रथक्-प्रथक् बन्द लिफाफे में प्रस्तुत नहीं कर केवल एकल लिफाफे में ही प्रस्तुत करेगा तो उसकी बिड पर कोई विचार नहीं करते हुए निरस्त कर दिया जायेगा।**
8. 'फर्म' द्वारा बोली प्रस्तुत करने की दशा में प्रत्येक पार्टनर द्वारा यह हस्ताक्षरित होनी चाहिए या ऐसे हस्ताक्षर करने के लिए 'पावर ऑफ एटोर्नी' से अधिकृत व्यक्ति से यह हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
9. बोलीदाता का गत दो वित्तीय वर्षों (2015-16 एवं 2016-17) का किराये की मशीन लगाने सम्बन्धी कार्य का अनुभव तीन लाख रूपये वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये। बोलीदाता को तत्सम्बन्धी कार्यादेश एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्रों एवं अंकेक्षित अंतिम लेखों (Audited Final Accounts) की प्रतियां संलग्न करनी होंगी।
10. यदि क्रेता किसी कारणवश निविदत्त कार्य नहीं करवाता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मशीनें स्थापित करवाता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
11. पंजीयन/जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र:- कोई भी डीलर जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित बिक्री कर अधिनियम/ जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, तो वह बोली नहीं देगा। पंजीयन संख्या एवं GSTIN का उल्लेख किया जाये। इसके बिना बोली रद्द की जा सकती है।
12. बोली प्रपत्र स्याही से भरा जाएगा या टंकित कराया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
13. बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
14. दरें अंकों एवं शब्दों में लिखी जायेंगी। इसमें कोई त्रुटि एवं उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरें सभी करों एवं प्रभारों सहित दी जानी चाहिएं। स्वीकृत दरों में अनुबंध अवधि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि अंकों एवं शब्दों में प्रस्तावित दरों में अन्तर पाया जाता है तो शब्दों में लिखी गई दरें ही मान्य होंगी।
15. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।
16. भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए बिड प्रपत्र की किसी भी शर्त को बिना कारण बताए वापिस लेने (विड्रा)/ छूट देने (रिलेक्स) /संशोधित करने (अमेण्ड) का अधिकार राजस्थान विधान सभा सचिवालय के पास सुरक्षित रहेगा।

17. जो बोलीदाता तकनीकी बिड में सफल पाये जायेंगे उन्हीं बोलीदातों की वित्तीय बिड खोली जायेंगी।
18. फर्म/कम्पनी की दशा में फर्म/कम्पनी का अपना आयकर स्थायी खाता सख्ंया (PAN) होना आवश्यक है।
19. बोलीदाता/सफलतम सवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज, सूचना आदि यदि कभी भी असत्य या मनगढंत (फेब्रीकेटेड) पायी जायेगी तो उसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा एवं इस आधार पर एग्रीमेंट को समाप्त करते हुए संवेदक के विरूद्ध विधिक एवं कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
20. **<u>विधि मान्यता</u>**: बोलियां उनके खोले जाने की दिनांक से 90 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
21. प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने किराये पर स्थापित की जाने वाली फोटोस्टेट मशीनों के स्पेशिफिकेशन, विवरण आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, मशीनों के स्पेशिफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, राजस्थान विधान सभा सचिवालय से जानकारी प्राप्त करेगा।
22. प्रदायकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या सबलेट नहीं करेगा।
23. बोली राजस्थान विधान सभा सचिवालय सभा द्वारा निर्धारित शर्तों पर दी जानी है। निर्धारित प्रपत्र में किसी प्रकार के संशोधन के साथ दी गई बोली, अस्वीकार करने के लिए उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधान सभा, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा।
24. बोली में वर्णित दरें स्याही, टोनर, फोटो स्टेट मशीन के रखरखाव इत्यादि समस्त प्रकार के खर्चों सहित होंगी। अनुबन्ध की अवधि के दौरान दरें स्थिर रहेंगी। इसमें कमी बेशी का कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा। मशीनों का सम्पूर्ण रख-रखाव/मरम्मत भी बोलीदाता फर्म को ही करवानी होगी।
25. बोली के साथ यदि जानबूझकर कोई गलत सूचना दी जाती है, तो ऐसी गलत सूचना के लिये बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा एवं ऐसी बोली को सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को किसी भी स्तर व समय पर निरस्त करने के अधिकार होगा।
26. राजस्थान विधान सभा सचिवालय में अनुमानतः पाँच लाख फोटो प्रतियाँ समस्त मशीनों पर एक वर्ष में होंगी। इस हेतु नौ कम्प्यूटर से जुडने वाली डिजिटल फोटोस्टेट मशीनें लगानी होंगी तथा सत्रकाल में निर्देशानुसार अतिरिक्त डिजिटल फोटोस्टेट मशीनें लगानी होंगी। बोलीदाता सम्पूर्ण वर्ष हेतु एक समान प्रति कॉपी की दरें प्रस्तुत करेंगे। मशीनों में किसी पर अधिक एवं किसी पर कम कार्य हो सकता है। भुगतान मासिक आधार पर किया जावेगा। दरों में कागज एवं मशीन ऑपरेटर के अतिरिक्त मशीनों का समस्त रख-रखाव सम्मिलित होगा। मशीनें बताये गये मेक या इससे उच्च स्तर की होना आवश्यक है। मशीनों की रैम आवश्यकतानुसार बढानी पड सकती है। लगाई जाने वाली मशीनों का मेक/क्षमता निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	**फोटो स्टेट मशीनों का विवरण**	**मशीनों की संख्या**
1	Digital Machine Multi Functional copier attached to Computer & printer A3/A4 size, Speed – 60 or more copies	**2**

	per minute Tray – 4 tray set (A/4 ,F/S, A/3) A3/A3, 512 RAM in MB 16 Zoom 25% to 400% Networking feature, Duplex, Pull/push scanning feature.	
2	Digital Machine Multi Functional copier attached to Computer & printer A3/A4 size, Speed – 25 or more copies per minute Tray – 2 tray set (A/4 ,F/S, A/3) A3/A3, 512 RAM in MB 16 Zoom 25% to 400% Networking feature, Duplex, Pull/push scanning feature.	**7**

27. उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधान सभा, जयपुर को किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये, निरस्त करने के पूर्ण अधिकार होंगे तथा उक्त कारण किसी भी प्रकार उत्पन्न होने वाले दायित्व से सचिवालय को कोई सरोकार नहीं होगा।
28. संविदा अवधि में संविदा के दोनों पक्षों बोलीदाता एवं राजस्थान विधान सभा सचिवालय के मध्य यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर या उनके मनोनीत व्यक्ति मध्यस्थता करेंगे। मध्यस्थता वार्ता में दोनों पक्ष अपना एक-एक प्रतिनिधि भेज सकेंगे। मध्यस्थता में दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
29. किसी भी कानूनी विवाद के लिए जयपुर स्थित न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा।
30. बोलीदाता द्वारा दी जाने वाली सेवायें सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुसार सन्तोषजनक होनी चाहिए।
31. संविदा की अवधि एक वर्ष की होगी। अनुबन्धकर्ता की सेवायें सन्तोषप्रद होने पर अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से नियमानुसार बढाई जा सकेगी। कार्य असन्तोषप्रद पाये जाने की अवस्था में एक माह का नोटिस दिया जाकर अनुबन्ध कभी भी समाप्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में भुगतान आनुपातिक आधार पर देय होगा। साथ ही इस सचिवालय पर पडने वाले वित्तीय भार का बोलीदाता द्वारा जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से पुनर्भुगतान हेतु फर्म बाध्य होगी।
32. फोटो स्टेट मशीनें नवीनतम मॉडल की होनी चाहिये। इन मशीनों को संचालित करने वाले व्यक्ति राजस्थान विधान सभा सचिवालय के होंगे, परन्तु मशीनें विधान सभा भवन में यथा स्थान रखे जाने के 7 दिवस के अन्दर इन व्यक्तियों को फर्म के इन्जीनियर/तकनीकी प्रतिनिधि द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा।
33. **<u>परिनिर्धारित क्षति:-</u>** किराये पर रखी गई समस्त मशीनों का पूर्ण रख-रखाव बोलीदाता को ही करना होगा। मशीन खराब होने की स्थिति में फर्म को लिखित अथवा दूरभाष पर सूचित किया जायेगा तथा सूचित करने की दिनांक अथवा अगले कार्य दिवस में मशीन आवश्यक रूप से ठीक करनी होगी अन्यथा रूपये 200/- प्रतिदिन प्रति खराब मशीन की दर से बिल से कटौती की जायेगी। अधिकतम तीन दिवस तक मशीन खराब रहने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता को दूसरी मशीन रखनी होगी अन्यथा उस पर रूपये 500/- प्रतिदिन प्रति खराब मशीन की दर से शास्ति आरोपित की जायेगी। सत्रकाल में खराब मशीन को उसी दिन ठीक करना आवश्यक होगा। यदि मशीन की मरम्मत संभव नहीं हो, तो दूसरे दिन समान स्थानापन्न मशीन उपलब्ध करवानी होगी। ऐसा नहीं करने पर रूपये 750/- प्रतिदिन प्रति खराब मशीन की दर से शास्ति लगाई जायेगी।

34. दरें प्रतिमाह प्रति मशीन किराया एवं प्रति कॉपी के रूप में प्रस्तुत की जायेंगी। बोली के साथ मशीनों के पूर्ण स्पेसिफिकेशन एवं अधिकतम कॉपी की क्षमता भी अंकित किया जावेगा। उक्त सूचनाओं के अभाव में बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
35. अनुबन्धकर्ता को विधान सभा की आवश्यकतानुसार नौ मशीनें तथा भविष्य में अधिक मशीनों की आवश्यकता पडने पर अधिक मशीनें उपलब्ध करानी होंगी, फोटो कॉपी में व्यवधान न हो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। अनुबंध अवधि में किराये की फोटो स्टेट मशीनों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
36. उपरोक्त शर्तों के विद्यमान होते हुए भी विधान सभा के परिसर में अनुबन्धित कार्य हेतु बिजली, पानी, स्थान आदि का आवंटन अनुबन्धकर्ता को किसी प्रकार का स्वत्वाधिकार प्रदान नहीं करेगा, न ही इस परिसर में किसी भी अवांछनीय वस्तु अथवा व्यक्ति को लाने, प्रवेश कराने, ठहराने का अधिकार होगा। परिसर में अनुबन्धकर्ता अथवा उसके सहायक द्वारा नशीली वस्तु का उपयोग निषिद्ध होगा।
37. हर माह के अन्त में बोलीदाता प्रत्येक मशीन की रीडिंग सम्बन्धित शाखा से रीडिंग रजिस्टर में अंकित करेगा एवं सम्बन्धित अधिकारी से प्रमाणित करवायेगा। समस्त मशीनों की रीडिंग प्राप्त हो जाने पर अगली माह की 10 तारीख तक बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेगा जिसमें मशीन का मेक क्रमांक प्रत्येक मशीन की माह के अन्त में रीडिंग, गत माह तक की रीडिंग एवं माह की कुल रीडिंग अंकित करेगा।
38. अनुबन्ध कर्ता फर्म को प्रत्येक मशीन की शाखा में एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें प्रत्येक मशीन के खराब होने एवं उसके सही किये जाने का समय एवं दिनांक अंकित कर सम्बन्धित अधिकारी से प्रमाणित करवाना होगा। रीडिंग लेते समय उक्त रजिस्टर में कार्य संतुष्टि रिपोर्ट सम्बन्धित शाखा अधिकारी से लेगा। कार्य संतुष्टि रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस बिल का भुगतान किया जायेगा।
39. सभी शर्तों की पालना बोलीदाता द्वारा की जावेगी। उनके द्वारा किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो अनुबन्ध निरस्त कर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
40. **<u>बोली प्रतिभूति (बिड सिक्योरिटी)</u> :-**

(क) बोलीदाता को बोली के साथ बोली सूचना के अनुसार बिड प्रतिभूति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर के पक्ष में बी.सी./डी.डी. या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गई विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए। अन्य प्रकार से प्रस्तुत बोली प्रतिभूति स्वीकार्य नहीं होगी। बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गांरटी की संबधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि कराई जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधान के लिए पात्र नहीं रह गया है।

(ख) **<u>बोली प्रतिभूति का प्रतिदायः</u>-** असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

(ग) **<u>बोली प्रतिभूति से छूटः-</u>** बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषयवस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। **राजस्थान के लघु उद्योगों** की दशा में, उन फर्मों को, जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान में पंजीकृत हैं, उन मदों के संबंध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण- पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, बोली आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए बोली के अनुमानित मूल्य के 0.5 (आधा) प्रतिशत की दर पर बोली प्रतिभूति जमा करानी होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड (BFIR) के समक्ष लम्बित हैं, यह बोली के मूल्य का एक प्रतिशत होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। बोली प्रतिभूति के स्थान पर, **बोली प्रतिभूति घोषणा** राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों को प्रस्तुत करनी होगी।

(ड.) **<u>बोली प्रतिभूति का समपहरण:-</u>** बोली प्रतिभूति को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा:-

a. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है;
b. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;
c. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है;
d. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है;
e. यदि बोली लगाने वाला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है;

(च) सफल बोली लगाने वाली की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकेगी या लौटा दी जायेगी, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

41. <u>कार्य सम्पादन प्रतिभूति :</u>

1. सफल बोलीदाता को उसकी बोली स्वीकृत होने की सूचना दिये जाने के 7 दिन की अवधि के भीतर, जिन माल या सेवाओं के लिए बोली स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के पांच प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
2. राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व का नियंत्रण या प्रबन्ध में

हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे। तथापि, इनको एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

3. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाप की रकम की एक प्रतिशत और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (BIFR) के समक्ष लम्बित हैं, के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रदाय आदेश की रकम का दो प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट प्राप्त करने के लिए इन फर्मों को पंजीयन की विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
4. बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।
5. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:-
   a. ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा;
   b. किसी अनुसूचित बैंक का मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक;
   c. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्पबचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।
   d. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित कराई जायेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गांरटी की संबधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि कराई जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधार के लिए पात्र नहीं रह गया है।
   e. किसी अनुसूचित बैंक की नियम जमा रसीद (FDR)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी, बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियम जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी की बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को सम्बन्धित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समय पूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।
   f. ई.जी.आर.ए.एस. से इतर प्ररूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वांरटी बाध्यताओं और रख-रखाव और दोषदायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदागत बाध्यताओं को पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहनी चाहिए।

7. संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि संवेदक के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं हैं, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा। राजस्थान विधान सभा सचिवालय को यह अधिकार होगा कि उक्त राशि में से संवेदक की कोई बकाया राशि या पैनल्टी बकाया होगी, तो भुगतान के समय काट ली जायेगी ।
8. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण**: कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा:-
   a. जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
   b. जब बोलीदाता सम्पूर्ण माल/सेवा सन्तोषजनक ढंग से प्रदाय करने में असफल रहा हो।
   c. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता प्राधिकारी/अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

42. करार (Agreement) का निष्पादन :-

(अ) सफल बोलीदाता को उसकी बोली स्वीकृत होने की सूचना दिए जाने के सात दिवस की अवधि के भीतर नियमानुसार विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प (नॉड ज्यूडिशियल स्टाम्प) पर करार निष्पादित करना होगा।

(आ) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प शुल्क का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा सचिवालय द्वारा उस करार पत्र की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपड़त बोलीदाता को नि:शुल्क दी जायेगी ।

(इ) यदि बोलीदाता, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि (7 दिवस) में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता हूं या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है, तो राजस्थान विधान सभा सचिवालय सफल बोलीदाता के विरूद्ध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा। सचिवालय, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्ध कर सकेगा या यदि उचित समझे तो, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति प्रस्ताव दे सकेगा।

43. **भुगतान:-**

(1) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, भुगतान बोलीदाता द्वारा राजस्थान विधान सभा सचिवालय को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएँगे।

(2) विवादास्पद मदों के संबंध में राशि के 25 प्रतिशत तक को रोका जा सकेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(3) उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएँगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम संतोषजनक होंगे।

44. अनुबन्धकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधियों, कर्मचारियों को कार्यालय का ऑफिस डेकोरम मैन्टेन करना अनिवार्य होगा।

45. **सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Integrity)** - उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोई भी फर्म,

(1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;

(2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;

(3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;

(5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;

(6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा;

46. <u>हित का विरोध (Confict of interest):-</u>

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों, जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियाँ सम्मिलित हैं, किन्तु इन तक सीमित नहीं है, यदि

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है; या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के

लिए डिजाईन, विनिर्देश रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

47. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंगः- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप-धारा (3)/और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार सुमचित कार्रवाई कर सकेगी।

48. 1. उपापन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की शिकायत के लिए अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रक्रिया से की जा सकेगी।

2. प्रथम अपील अधिकारी वरिष्ठ उप सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर तथा द्वितीय अपील अधिकारी सचिव, राजस्थान विधान सभाए जयपुर हैं।

49. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में वर्णित सभी शर्ते/प्रावधान लागू होंगे।

(गिरिराज बांगड)
उप सचिव (प्रशासन)

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानीपूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय सील

बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने जिन कार्य/ सेवाओं के लिए बिड दी है, उनके मैं/हम पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्था/इकाई हूं/हैं तथा कार्य /सेवा आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाइयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत् हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए अथवा मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना, तथ्य, प्रमाण-पत्र या विवरण आदि अनुबंध अवधि के दौरान झूठी या अपूर्ण पाई जाये, तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद् कर दिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील

परिशिष्ट- "क"

राजस्थान विधान सभा सचिवालय में किराये पर लगाई जाने वाली डिजिटल फोटो स्टेट मशीनों की प्रस्तावित दरें :-

बोलीदाता का नाम ....

क्र.स.	फोटो स्टेट मशीनों का विवरण	मशीनों का संख्या	मासिक किराया प्रति मशीन (सभी करों सहित)	निःशुल्क छाया प्रतियां प्रति मशीन (संख्या)	अतिरिक्त प्रतियों की दर प्रति फोटो कॉपी
1	Digital Machine Multi Functional Copier attached to Computer & printer A3/A4 size, Speed – 60 or more copies per minute Tray – 4 tray set (A/4 ,F/S, A/3) A3/A3, 512 RAM in MB 16 Zoom 25% to 400% Networking feature, Duplex, Pull/push scanning feature.	2			
2	Digital Machine Multi Functional Copier attached to Computer & printer A3/A4 size, Speed – 25 or more copies per minute Tray – 2 tray set (A/4 ,F/S, A/3) A3/A3, 512 RAM in MB 16 Zoom 25% to 400% Networking feature, Duplex, Pull/push scanning feature.	7			

नोट :- दरें अंको एवं शब्दों में लिखी जानी चाहिए। अंकों एवं शब्दों में लिखी दरों में अन्तर पाये जाने पर शब्दों में लिखी दरें ही मान्य होंगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील